

## भारत में वृद्ध जनों पर राष्ट्रीय नीति

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये एकीकृत कार्यक्रम की एक [केंद्रीय क्षेत्र योजना](#) लागू की है।

### भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित पहलें:

- वृद्ध जनों पर राष्ट्रीय नीति:
  - वृद्ध जनों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा वर्ष 1999 में वृद्ध जनों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने हेतु की गई थी।
  - इस नीति में वृद्ध जनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य ज़रूरतों, विकास में समान हसिसेदारी, दुरव्यवहार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य के समर्थन की परकिल्पना की गई है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):
  - यह [वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष](#) द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - यह योजना BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों या प्रतिमाह 15000 रुपए से कम आय वाले एवं कम दृष्टि, श्रवण अक्षमता, दाँतों की हानि तथा लोकोमोटर ककिलांगता जैसी उम्र से संबंधित अक्षमताओं से पीड़ित लोगों को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है।
- एल्डरलाइन (Elderline):
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिये राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567)-एल्डरलाइन को वर्ष 2021 में वृद्ध जनों की शकियातों को दूर करने के लिये मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।
    - इस संबंध में देश भर में हेल्पलाइन शुरू की गई है और वरिष्ठ नागरिकों को एक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- सीनियरकेयर एजि गरोथ इंजन (SAGE):
  - यह वृद्ध जनों के कल्याण हेतु उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लयिनवीन स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2021 में शुरू की गई एक पहल है।
    - इस पहल के तहत नवोन्मेषी स्टार्टअप की पहचान की जाती है और यह सुनिश्चित करते हुए प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है कि स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो।
- अटल वयो अभ्युदय योजना:
  - मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत अंतर-पीढ़ी बंधन को मज़बूत करने के लिये स्कूल/कॉलेज के छात्रों के साथ जागरूकता सृजन/ संवेदीकरण कार्यक्रमों को भी शामिल किया है।
    - इसका उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की बेहतर समझ के लिये व्यक्तियों, परिवारों और समूहों को सूचना तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान करना है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)